[श्री श्याम सुन्दर लाल]

मसले को बहुत लाइटली न ले वल्कि जहां तक हो सके सीरियसली लेकर इस पर तुरन्त इमीडिएट ऐक्शन होना चाहिए और तुरन्त कोई न कोई एजेंसी कायम होनी चाहिए और ठोस इमीडिएट कदम उठाये जाने चाहिएं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम इस मामले को हलके तौर पर नहीं ले रहे हैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है और इस सम्बन्ध में जो भी आवश्यक और प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए वह हम कर रहे हैं लेकिन बार बार ठोस शब्द दोहराने से किसी बात में ठोसपन नहीं आता है । हमें अन्तर करना चाहिए कि भारत में जो कार्यवाही हम कर सकते हैं वह कार्यवाही विदेशों में करना हमारे लिए सम्भव नहीं है । विदेशों में कोई भी कदम उठाने में विदेशी सरकार को सहायता से, उनके माध्यम से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा । यह धारणा पैदा होना भी ठीक नहीं है कि विदेशी सरकारें हमें सहयोग नहीं दे रही हैं, वे सहयोग दे रही हैं और उनके सहयोग से कुछ लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने कुछ बयान भी दिए हैं और हम आगे जांच कर रहे हैं । कोई नयी एजेंसी कायम करने की आवश्यकता नहीं है । एजेंसियां बहुत हैं, वे अपने काम में लगी हुई हैं । उन्हें और थोड़ा सक्रिय बनाकर तुरन्त किसी नतीजे पर पहुंचे, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं ।

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTEENTH REPORT

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Seoni) : I beg to present the Fifteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

MR. SPEAKER : Now we come to 377 statements.

13.10 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(I) REPORTED ACCUMULATION OF MOLASSES IN KHANDSARI FACTORIES IN GUJARAT

श्री धर्म सिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के नियम 377 के अन्तर्गत में लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय--"मोलेसेज"-- के बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं ।

खांडसारी फैक्ट्रियों में खांडसारी बनाने के बाद जो मोलेसेज वहां जमा हो जाती है, उस के बारे में गुजरात सरकार की नई नीति से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के धोराजी, उपलेटा, जाम कंडोरणा, वंथली, मांगरोल, जाम जोधपुर, जैतपुर, आदि तालुकों की 40 खांडसारी फक्ट्रियों में मोलासिज का बहुत ज्यादा स्टाक जमा हो गया है, क्योंकि खांडसारी बनाने के बाद उस में से 60 प्रतिशत मोलासिज निकलता है । व्यापारी को मोलासिज में से बने हुए ढाई-किलो गुड़ पशु-आहार के लिये बेचने का नियम गुजरात सरकार ने बनाया है । इस से खांडसारी वाले छोटे उद्योगों को बहुत परेशानी हो रही है ।

गुजरात खांडसारी मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन, उपलेटा, ने दिनांक 1-3-1978 को गुजरात के मुख्य मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, नशाबन्दी मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, सहकार मंत्री जी और केन्द्रीय कृषि मंत्री जी को आवेदन-पत्र भेज कर मांग की है कि खांडसारी बनाने के बाद बची हुई मोलेसिज में से गुड़ बना कर 20 डिब्बे या 500 किलोग्राम गुड़ बेचने की होलसेल